आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –39 / 2022
मो० नौशाद आजम
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
27.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–9899 / 2021 में दिनांक 19.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वाद संख्या–31 / 2019 में दिनांक–22.10.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 19.01.2022 में अंकित है किः– ***"If aggrieved by the said order, the petitioner shall have liberty to approach this Court by way of separate petition(s), if so required and desired.*** ***Equally, liberty is reserved to the petitioner to take recourse to such alternative remedies as are otherwise available in accordance with law.*** ***We are hopeful that as and when petitioner takes recourse to such remedies, as are otherwise available in law, before the appropriate forum, the same shall be dealt with, in accordance with law and with reasonable dispatch.*** ***The petition stands disposed of in the aforesaid terms. Interlocutory application, if any, shall also stand disposed of ."***	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आवेदक चयन के लिए विज्ञापन की अर्हता को पूरा करते है। इनकी (पुनरीक्षणकर्ता) शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडिएट है तथा यह कम्प्यूटर ज्ञान भी रखते है, कम्प्यूटर की दो वर्ष की डिग्री धारित है तथा मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है एवं मेधा सूची में क्रमांक सं0–05 पर इनका (पुनरीक्षणकर्ता) नाम था। फिर भी इनका चयन नहीं किया गया है जबकि विपक्षी सं0–02 एवं 03 का चयन कर लिया गया है। विपक्षी सं0–02 ने अपना मैट्रिक का प्रमाण–पत्र नहीं संलग्न किया था। यदि उनके द्वारा अपने मैट्रिक का प्रमाण–पत्र लगाया जाता तो उनसे ज्यादा अंक इनका (पुनरीक्षणकर्ता) है एवं ये सभी अभ्यर्थियों में सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी इनका चयन नहीं किया गया है, जो गलत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक प्रणाली के नियम 9(v) के तहत आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.08.2018 को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ''***बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के आलोक में नये जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के लिए आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होना अनिवार्य होगी। कम्प्यूटर ज्ञान वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। योग्य का चयन अधिकतम शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) के आधार पर किया जायेगा, योग्यता समान होने पर अधिक प्राप्तांक (प्रतिशत) को आधार माना जायेगा। योग्यता का प्रतिशत समान पाया गया तो जिसका उम्र अधिक होगा, चयन के योग्य होगा।***''

उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 02 स्नातकोत्तर हैं। दूसरे चयनित अभ्यर्थी विपक्षी संख्या–03 हैं जो इंटरमिडिएट हैं तथा उनके अंक का प्रतिशत 60.6 है तथा पुनरीक्षणकर्ता भी इंटरमिडिएट हैं एवं उनके अंक का प्रतिशत 50.7 है, जो कि अन्य अभ्यर्थियों से कम है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अर्थात सबसे योग्य विपक्षी संख्या–02 हैं क्योंकि उनकी डिग्री सबसे उच्चतम स्नातकोत्तर है। उसके बाद पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी संख्या–03 इंटरमिडिएट हैं, परन्तु विपक्षी संख्या–03 के अंक का प्रतिशत पुनरीक्षणकर्ता दोनों की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उसमें (इंटरमिडिएट में) समान होने पर ही अंको का प्रतिशत देखा गया है। इस आधार पर उनका चयन हुआ है, जो नियमानुकूल है। समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का आदेश ***बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 9 (v) के अनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होता है।*** उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL